

भाग – II

(संबंधी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

| प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या | |
|---|---|
| 7- परियोजना स्कीम का स्थान | जनपद-देहरादून के मसूरी स्थित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत (आरकोडिया जोन) में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.020हेटो नाटिफाईड प्राइवेट फारेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गेर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। |
| (i) राज्य /संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड राज्य |
| (ii) जिला | देहरादून |
| (iii) वन प्रभाग | मसूरी वन प्रभाग, मसूरी |
| (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र | 0.020 हेतु नोटिफाईड प्राइवेट फारेस्ट भूमि |
| (v) वन की कानूनी विधिति | 0.020 हेतु आरकोडिया जोन अन्तर्गत नोटिफाईड प्राइवेट फारेस्ट भूमि |
| (vi) हरियाली का धनत्व | 0.1 |
| (vii) प्रजातिवार (विज्ञानिक नाम) और परिविधि श्रेणीवार तुँकों की परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए। | प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोल प्रजाति के निमित्त व्यासवर्ग के मात्र वृक्ष अवस्थित है। जिसमें से एक (01) वृक्ष वाधित / प्रशावित होना निहित है। |
| (viii) भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त विष्यणी | नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा भू-वैज्ञानिक की आव्या प्रस्ताव के संलग्नक-34 व 35 पर चर्चा है। |
| (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | प्रस्तावित एस0टी0पी0 हेतु निर्माण कार्य आरकोडिया जोन अन्तर्गत नाटिफाईड प्राइवेट फारेस्ट भूमि की सीमा अन्तर्गत है। |
| (x) द्रथ फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जेवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुचिति की जाए) | नहीं। इस बावत प्रस्तावक एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक - 21 पर प्रमाण पत्र चर्चा किया गया है। |
| (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटपन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें। | —नहीं— |
| (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में विद्युत है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा सक्षम प्राविकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। | नहीं। इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0– 40 पर प्रमाण पत्र चर्चा किया गया है। |
| 8. प्रयोक्ता एंटेसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहर्य और न्दूनतम है यदि नहीं, तो जाचे गये विकल्पों के बारें के साथ मद-वार संस्कृति क्षेत्र क्या है। | इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र – 26 पर चर्चा है। |
| 9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्योरा दें वस्त्रा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | — नहीं— |
| 10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा | प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित नोटिफाईड प्राइवेट फारेस्ट वन भूमि 1.00 हेटो से कम है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रविधान नहीं किया गया है। |
| (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित नोटिफाईड प्राइवेट फारेस्ट वन भूमि 1.00 हेटो से कम है। अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक 28ए पर चर्चा है। भू-खण्ड पहाड़ी है। |
| (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | उत्तरानुसार। |

| | | |
|-------|---|---|
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत डाचा आदि। | प्रजातियाँ- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय- उच्च स्तर से स्थीरति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित कार्यस्थल के आस-पास रिक्त खानों पर 100 वृक्षों का वृक्षरोपण हेतु रु0 1,10,000.00 (रु0 एक लाख दस हजार मात्र) का प्रावक्तव्यन संलग्नक 28ए पर चर्चा है। |
| (iv) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | प्रस्तावित कार्यस्थल के अस-पास रिक्त खानों पर 100 वृक्षों का वृक्षरोपण हेतु रु0 1,10,000.00 (रु0 एक लाख दस हजार मात्र)। |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सचिवचित उप वन संस्करक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) | प्रस्तावित कार्यस्थल के अस-पास रिक्त खानों पर 100 वृक्षों का वृक्षरोपण का प्रावक्तव्यन प्रमाणित कर चर्चा किया गया है। |
| 11. | उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 :गपए गपपद्धर 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दशाते हुए (संलग्न करें) | फील्ड ट्राई के अधीनस्थ वन अधिकारियों / फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19-02-2015 को अद्योहस्ताक्षरी हारा प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक-18 पर चर्चा किया गया है। अद्योहस्ताक्षरी हारा वर्णित घटना का दिनांक 16-10-2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। |
| 12. | विभाग / जिला प्रोफाइल | जिला- देहरादून |
| (i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | 3088.00 वर्ग किमी0 |
| (ii) | जिले का दान क्षेत्र | 2116.00 वर्ग किमी0 |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र | कुल मामलों की संख्या 113 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 262.4733 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 190.8198 है। |
| (iv) | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन मूलि :- (ख) वनेतर भूमि पर:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर | (क) 414.6784 है0 / 651.6396 हैवटेयर (ख) रिक्त वृक्षरोपण किया जा चुका है। |
| (v) | अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर | (क) 1- 317.630 / 531.38 है0 में प्रभाग के अंतर्गत क्षेत्र वृक्षरोपण किया जा चुका है। |
| 13. | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश | प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिशेष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्कृति की जाती है। |

दिनांक: 16-10-2018 |

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:- (राजीव श्रीमान)
प्रस्तावकारी मुहर
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी